न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

जिस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1568/2017

CMS NO. : 2017/00255

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. कालूराम पुत्र कानाराम 2. खाजूराम पुत्र कानाराम 3. विष्णुप्रकाश पुत्र कानाराम फौत के का. मु. 3.1 रेखादेवी पत्नी विष्णुप्रकाश 3.2 धर्मेन्द्र पुत्र विष्णुप्रकाश 3.3 चिन्टू पुत्र विष्णुप्रकाश 3.4 भावना पुत्री विष्णुप्रकाश 3.5 मोनिका पुत्री विष्णुप्रकाश जाति– सरगरा, निवासी ग्राम आ.कालू, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।		1. शिवराज पुत्र ढगलाराम 2. सत्यनारायण पुत्र ढगलाराम फौत के का.मु. 2.1 उगमा देवी पत्नी सत्यनारायण 2.2 राजू पुत्र सत्यनारायण 2.3 ओमप्रकाश पुत्र सत्यनारायण 2.4 सूरज पुत्र सत्यनारायण 2.5 लक्की पुत्र सत्यनारायण 2.6 मोहित पुत्र सत्यनारायण जातियान सरगरा निवासी आ.कालू तहसील जैतारण। 3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 07/07/2017

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुनिल प्रजापति, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 26/07/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान की शामलाति पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा बस्सी पटवार हल्का आ0कालू चक द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित है जो खसरा संख्या 1100 रकबा 07–03 बीघा रकबा बारानी अव्वल की आई हुई है। उक्त भूमि सायलान एवं गैरसायलान के पूर्वज दौलाराम वल्द पेमाराम की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की थी, जिस पर वक्त सेटलमेंट के समय काबिज खातेदार काश्तकार दौलाराम जी ही थे, इस भूमि की चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है एवं इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वंशावली अनुसार माफिक सायलान व गैरसायलान सभी एक ही पूर्वज दौलाराम के वंशज है। एवं संयुक्त हिन्दू परिवार का सामिल जिस पर माफिक हक हिस्से अनुसार पक्षकारो का मौके पर काबिज एवं हक अधिकार भी है। विवादित आराजी के वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही यानि संवत् 2011 से 2030 तक के समय से ही इस विवादित आराजी के रेकर्डड काबिज खातेदार काश्तकार दौलाराम वल्द पेमाराम जी थे, तथा दौलाराम जी बड़े पुत्र ढगलाराम जी थे जो सायलान एवं गैरसायलान के परिवार में वृद्ध होने की वजह से परिवार के कर्ताधर्ता व मुखिया थे इस प्रकार से दौलाराम जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

परिवार के कर्ता खानदान सेटलमेंट के समय से ढगलाराम जी ही थे। वक्त सेटलमेंट समय से ही इस विवादित आराजी के रेकर्डड काबिज खातेदार काश्तकार दौलाराम जी लेकिन वक्त सेटलमेंट के समयश सेटलमेंट विभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने ाती से वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में दौलाराम जी के बड़े पुत्र ढगलाराम जी जो इस ुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान होने से उनके अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज दी, जबकि वास्तविकता में इस भूमि पर ढगलाराम जी के अलावा उनके छोटे भाई नाराम का बराबर कब्जा काश्त व हक हिस्सा व अधिकार था। तथा उक्त दोनो भाई मलाति ही काश्त कर रहे थे, कालान्तर में ढगलाराम व उनके भाई कानाराम जी का देहान्त हो गया है जिस पर उक्त विवादित आराजी में वर्तमान में ढगलाराम जी के ाम से राजस्व रेकर्ड चल रहा है। तथा उनके देहान्त के बाद ढगलाराम व कानाराम जी वारिसान यानि सायलान व गैरसायलान का भी बराबर मौके पर कब्जा काश्त चला आ ा है। इस प्रकार से उक्त विवादित आराजी में सायलान संख्या 01 से 3/5 का 1/2 ा 1/3 वां हिस्सा व गैरसायलान का भी 1/2 में से 1/3 वां हिस्से मौके पर चला आ ा है तथा इसी माफिक वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कल जमाबंदिया भी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, इसी प्रकार से विवादित आराजी ायलान की पैतृक व पुश्तैनी है जिसके राजस्व रेकर्ड में सहवन से सायलान के पिता व ादाजी एवं दादी ससुर के नाम दर्ज नही हुआ था, लेकिन मौके पर सेटलमेंट से लगायत ाज दिन तक सायलान का कब्जा काश्त यथावत चला आ रहा है। इस प्रकार से ाजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के माफिक भी वादग्रस्त आराजी में अपने ातेदारी हक व अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बहक ायलान विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। उक्त विवादित आराजी में सायलान संख्या 01 से 3/5 का 1/2 का 1/3 वां हिस्सा व गैरसायलान का भी 1/2 में से 1/3 वां हिस्से मौके पर चला आ रहा है तथा इसी माफिक वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। एवं इसी माफिक पक्षकार काबिज खातेदार काश्तकार सायलान है। सायलान वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही सायलान के पिता व दादा व दादीससूर का अलग अलग 1/2-1/2 वां हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त था। उनके स्वर्गवास उपरान्त सायलान इस भूमि में पर काबिज हुए। इस वर्ष विवादित आराजी पर सावणू फसल भी सायलान ने ही बोई है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में सायलान के पिता का नाम दर्ज नही होने की वजह से गैरसायलान मौके पर लड़ाई झगड़ा व वाद विवाद कर रहे है। गैरसायलान के दादा व पिता व ससुर का नाम गलत हिस्सा दर्ज होने से वह इस भूमि को जरिए रहन बेचान के अन्य हस्तान्तरण करने को आमादा है। सायलान को भी उनके हक हिस्से की भूमि से बेकाबिज कर बेदखल कर बेदखल करने को आमादा है। इस बाबत् मौके पर भी गैरसायलान विवाद करने की कुचेष्ठा कर रहे है। दिनांक 10.06.2017 को गैरसायलान ने सायलान का नाम दर्ज करवाने से इंकार कर दिया तथा मौके पर नाप चौप व कब्जे को लेकर विवाद कर रहे है गैरसायल ने कानून हाथ में लेकर लाठी लकड़ी के बल पर सायलान को इस विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं सायलान अपने पैतृक व पुश्तैनी जायदाद से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगे। सायलान गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यो का विरोध करेंगे जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियो में सायलान के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

न्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध सायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियो व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व शत के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी सायलान के पक्ष में माणित है। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान के हक हिस्से की भूमि में दखलंदाजी हस्तक्षेप बाधा व अड़चन पैदा करते है, या उक्त भूमि को जबरदस्ती रहन, बेचान व न्रूू हस्तान्तरण कर देते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी ी कदर संभव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नही आंका जा कता है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। तब ह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान के सादर श है।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 2/5 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। गैरसायल संख्या 1 से 2/4 के द्वारा वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायल संख्या 01 से 2/4 को बार बार अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना-पत्र पेश करने में असफल रहने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधारं पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वाद के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही पूर्वज दौलाराम के वंशज है, जो कि संवत् 2011 के पूर्व से ही वादग्रस्त आराजी पर रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार थे, लेकिन भू अभिलेख में कर्ता खानदान के आधार पर बड़े पुत्र ढगलाराम का नाम दर्ज कर दिया गया, अप्रार्थीगण उनके वारिसान है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा भू अभिलेख की प्रविष्ठियो को चुनौती दी है, तथा खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है। वही वर्तमान भू अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से यह बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व (03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है तथा प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र एवं इकरारनामा एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर वर्तमान में वादग्रस्त आराजी उपयोग उपभोग में होने का कथन किया है तथा यदि अप्रार्थीगण को यथा स्थिति अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो यह पूरी संभावना है कि अभिलेखीय प्रविष्टियो के आधार पर अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण कर सकते है तथा यदि ऐसा होता है तो वादपत्र के सम्यक निर्णयन में अनवाश्यक जटिलताएं एवं विलम्ब होना संभव है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

र्णीय क्षति प्रार्थीगण को होना संभव है। अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में र्णत किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि र्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार ्या जाकर उभयपक्षकारान् को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया धि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत ारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति ाबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बस्सी पटवार हल्का आनन्दपुर कालू चक द्वितीय के खसरा संख्या 1100 रकबा 07-03 बीघा रकबा बारानी अव्वल की मौका स्थिति व भू अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे तथा किसी प्रकार का नवीन कच्चा पक्का आदि निर्माण नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 26/07/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:10 IST
Reason: SelfAttested